

2021/19

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/21	212 RTA	रतापूर	र.क.डी
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अमीनुर्रहमान		बनाम	दौलतराम

वकील :- R.K. Bhargava **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

10/2/21

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

17/3/21

पत्रावली पेश हुई। कुलम्बे अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी 1,2, व 5 तथा 15 के बर ताकी ल अर्ज प्रारम्भ। प्रतिवादी 3, 4, 1, 2 व 5 तथा 10 की ओर से श्री अशोक कलरिधा एडवो. प्रतिवादी 11 व 12 की ओर से श्री हेमराज सेंदर कुशबहा एडवो 13 तथा 15 की ओर से अईजा की undertaking/ वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी 3 व 4 की ललकी हेतु वकालती पेश करा जास्ते तलकी। वकालती/पत्रावली पत्रावली दिनांक 21/5/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

5/5/21

**अज्ञेय सुमन**  
 अज्ञेय सुमन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/6/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारां)

8/6/21

**बनरोही**  
 बनरोही अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारां)

पत्रावली पेश हुई। नकुलाल फरीकेत उपाज जवाब पत्र नही हुआ तथा न्याय के पत्रावली का दिनांक 24.7.24 को पेश हो।

24.7.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलाल फरीकेत उपाज जवाब पत्र आदेश / बिना 10 CPC पत्र हुआ तथा नकुलाल जमी को दिखाई गयी पत्रावली का दिनांक जवाब जवाब पत्र दिनांक 3.9.24 को पेश हो।

3.9.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलाल फरीकेत उपाज / वकील पार्थी ने प्र. पत्र O/R 10 CPC का जवाब पेश नहीं किया है। समय पाया है। पत्रावली वाले जवाब प्र. पत्र दिनांक 16.10.24 को पेश हो।

16.10.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलाल फरीकेत उपाज / वकील पार्थी ने प्र. पत्र O/R 10 CPC का जवाब पेश करने हेतु समय पाया है। पत्रावली वाले जवाब प्र. पत्र दिनांक 20.11.24 को पेश हो।

20.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी एवं स्वयं पार्थी उपस्थित नहीं है। न्यायालय के क्रम - क्रम पर तीन बार आवाज लावारी गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। वकील पार्थी एवं स्वयं पार्थी कोई उपज नहीं है। प्रकरण आज हाजरी एवं कुछ पैसी के ब्यारिज किया जाता है। पत्रावली केवल थुनाल दोहरा दायित्व है।